(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 42/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 सितंबर 2018

सा.का.नि. (अ).-- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी-सीएमपी-04** में 2 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2018 के मध्य आवेदन किया है, उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01** में घोषणा करने के लिए समय सीमा को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए बढाते हैं ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार